

निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- एफ 3 (RVRES) स्था/एसीआर/निकाशि/11/पार्ट/530 दिनांक...13/3/12

- (1) समस्त प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय एवं राजकीय विधि महाविद्यालय, राजस्थान।
- (2) समस्त, सहायक निदेशक
क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान
जयपुर/अजमेर/कोटा/उदयपुर/बीकानेर/जोधपुर।

विषय :- RVRES कार्मिकों के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के मुख्य पृष्ठ के दाहिनी ओर RVRES अंकित करने संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कार्मिक विभाग द्वारा उपलब्ध राजपत्रित तथा अधीनस्थ/मंत्रालयिक सेवा कर्मचारियों हेतु कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रपत्र में मुख्य पृष्ठ के दाहिनी ओर RVRES भी अंकित किया जाना है ताकि लोक सेवा आयोग द्वारा नियमित व्याख्याताओं को एवं RVRES के तहत स्क्रीनिंग के माध्यम से नियुक्त व्याख्याताओं में अंतर किया जा सके।

ह.०
(सुबीर कुमार)
निदेशक

प्रतिलिपि क्रमांक :- एफ 3 (RVRES) स्था/एसीआर/निकाशि/11/ पार्ट/530 दिनांक...13/3/12

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव कार्मिक (क-1/गो-प्र) विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
3. उप शासन सचिव, शिक्षा (गुर्प-3) विभाग राजस्थान, जयपुर।
4. विशेषाधिकारी उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

5. श्री धीरेंद्र देवशी (व्याख्याता)
की वेबसाइट में upload करने हेतु
प्रतीक्षा प्रेषित है।

14-3-12

12-3-12
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान
जयपुर।